राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1250/2006/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अमरसिंह पुत्र श्री बदनपाल सिंह,
एच–5, शिवाजी पार्क, दिल्ली. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
कोई नहीं .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/02/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 121/आरएसटी/एनआरडी/2002–03 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2005 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अलवर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 78(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.07.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.07.2000 को दस्तावेज संग्रहण केन्द्र, आकेड़ा मोड़, भिवाड़ी के पास वाहन संख्या डी.आई.जी./6538 को चैक किये जाने पर वाहन में 12000 लीटर एच.एस.डी. गुड़गांव से भिवाड़ी के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। प्रत्यर्थी वाहन चालक/माल प्रभारी ने माल से सम्बन्धित बिल संख्या 469 दिनांक 18.07.2000 प्रस्तुत किया। उक्त बिल संदेहास्पद प्रतीत होने पर वाहन चालक को अधिनियम की धारा 78(5) व 78(8) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिसों की पालना में प्रत्यर्थी वाहन चालक ने प्रस्तुत जवाब में जाहिर किया कि उसके द्वारा वाहन किराये पर दिया गया है तथा बिल में बताये गये पते पर माल की डिलीवरी देनी है। मेरी किसी प्रकार की करापवंचन में सहभागिता नहीं है। यदि मेरी कोई मिलीभगत होती तो मैं दस्तावेज चैकपोस्ट पर प्रस्तुत ही नहीं करता। इसके साथ ही माल को जब्त करते हुए वाहन छोड़ने का भी निवेदन किया। सक्षम अधिकारी ने बिल में

लगातार.....2

उल्लेखित प्रेषक व प्रेषिति से जांच की जाने पर उनके द्वारा माल से उनका सम्बन्ध नहीं होना जाहिर किया। इस पर सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी वाहन चालक के उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए, माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से प्रत्यर्थी वाहन चालक की माल परिवहन में कर चोरी व करापवंचन में मिलीभगत मानते हुए, अधिनियम की धारा 78(5) व 78(8) के तहत पृथक–पृथक आदेश पारित करते हुए शास्तियों का आरोपण किया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में, अपीलीय अधिकारी ने धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि करते हुए, धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2005 के विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशन के बावजूद प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि वक्त चैकिंग वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल में अंकित प्रेषक व प्रेषिति से की गई जांच में उनके द्वारा माल से सम्बन्ध होने से इन्कार किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वतः प्रमाणित है कि मिथ्या दस्तावेज से माल का परिवहन किया जा रहा था। अतः माल परिवहन में स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन हो रहा था, साथ ही वाहन चालक की भी मिलीभगत थी। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 78(5) व 78(8) के तहत शास्तियों का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा चैक किये जाने पर प्रत्यर्थी वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल प्रस्तुत किया गया। उक्त बिल से सम्बन्धित प्रेषक/प्रेषिति ने माल से उनका सम्बन्ध होने से इन्कार किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि मिथ्या दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जा रहा था। उक्त कृत्य के लिये अधिनियम की

लगातार.....3

धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन चालक पर आरोपित की गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा साथ ही वाहन चालक की करापवंचन में मिलीभगत मानते हुए धारा 78(8) के तहत भी शास्ति आरोपित की गयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन चालक द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का परिवहन किया जा रहा था, साथ ही स्वंयं के साथ मिलीभगत करके कर चोरी में सहयोग प्रदान किया जा रहा था। सामान्य विवेक बुद्धि से भी यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ मिलीभगत नहीं कर सकता। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा एक ही व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 78(5) व 78(8) के तहत पृथक—पृथक शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

7. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की **अपील संख्या 488 व 489/2009/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता—तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स दी इण्डिया गोल्डन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, अमरपथ, अमरनाथ की बगीची, आदर्शनगर, जयपुर निर्णय दिनांक 15.12.2010** तथा **अपील संख्या 1962/2010/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट—प्रथम, वृत—तृतीय, जयपुर बनाम मैसर्स श्री लीलाराम पुत्र श्री प्रहलाद यादव, वाहन चालक, जरिये श्री अनिल दींगड़ा पुत्र श्री बलदेवराज सुलतानपुरी, दिल्ली निर्णय दिनांक 31.08.2012** में धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अविधिक माना है कि एक ही व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 78(5) व 78(8) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना दोहरे करारोपण की श्रेणी में आता है। सक्षम अधिकारी यदि धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण माल प्रेषक अथवा प्रेषिति व्यवहारी पर करते तथा धारा 78(8) के तहत शास्ति का आरोपण वाहन चालक पर करते तो शास्ति का आरोपण उचित ठहराया जा सकता था, किन्तु हस्तगत प्रकरण में दोनों शास्तियों का आरोपण वाहन चालक पर किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 29.07.2000 अन्तर्गत धारा 78(8) न्यायोचित व विधिसम्मत नहीं है तथा उक्त आदेश को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

8. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2005 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 05/2/2013

(मनोहर पुरी)
सदस्य